फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती कजोडी **विपक्षी : राज्य**

किस्म मुकदमा – 136 भू.राजस्व अधिनियम **पत्रावली संख्या : 35/20**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 05.01.2022 पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 कैम्प आमली में पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। राजपेरोकार द्वारा अपने जवाब अनुसार नाम संशोधन किया जाने पर सहमति व्यक्त की। उभय पक्षकारान को सुना गया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थीगण द्वारा राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी सं. 1 का नाम भग्गी एवं प्रार्थी सं. 2 का नाम हमेरा पिता वरदा गलत अंकित होना बताया जिसे दुरूस्त किया जाने का निवेदन किया। राजपैरोकार मावली द्वारा जवाब प्रस्तुत कर नाम गलत अंकित होने से पुनः नाम सही कराने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में भामाशाह कार्ड की प्रति, आधार कार्ड की प्रति, मतदाता पहचान पत्र एवं अन्य खातों की जमाबन्दी नकले की प्रति प्रस्तुत कर नाम संशोधन किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थी सं. 1 का नाम राजस्व रेकार्ड में भग्गी एवं प्रार्थी सं. 2 का नाम हमेरा पिता वरदा दर्ज हैं, जबकि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपने समस्त दस्तावेजात में प्रार्थी सं. 1 का नाम कजोडी एवं प्रार्थी सं. 2 का नाम हमेरा पिता प्रथा अंकित है। प्रकरण में तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट में भी तहसीलदार द्वारा भग्गी व कजोडी एवं हमेरा पिता वरदा व हमेरा पिता प्रथा एक ही व्यक्ति होना बताया हैं। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर प्रार्थीगण का नाम राजस्व रेकार्ड में गलत अंकित होने से सही किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार योग्य पाया जाता हैं। **–: आदेश :–** परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जात है कि मौजा बाबरिया खेडा पटवार हल्का आमली की आराजी नम्बर 173/2, 330/285 किता 2 रकबा 4 बीघा एवं आराजी नम्बर 292/175 किता 1 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा भूमि में खातेदार प्रार्थी सं. 1 का नाम भग्गी पत्नी विरभाण के बजाय भग्गी उर्फ कजोडी पत्नी विरभाण एवं प्रार्थी सं. 2 का नाम हमेरा पिता वरदा के बजाय हमेरा पिता वरदा उर्फ प्रथा संशोधन किया जावे। शेष इन्द्राज बदस्तुर रहे। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो । निर्णय सुनाया गया। (मयंक मनीष I.A.S.) सहायक कलक्टर (SDO)मावली	

Signature Not Verified

Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2022.01.21 11:14:49 IST
Reason: SelfAttested